आरोप

जनहित याचिका में आरोप, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

करोड़ों का गबन करने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं

जबलपुर। खंडवा जिले की पुनासा जनपद पंचायत अंतर्गत नर्मदा नगर ग्राम पंचायत में करोड़ों के गबन का आरोप लगाने वाले मामले को हाईकोर्ट ने सख्ती से लिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई पर अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की है।

यह जनहित का मामला समाजसेवी कैलाश अतुदे की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता अनिरूद्ध कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा। याचिका में कहा गया है कि नर्मदा नगर ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण, नाली व भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों में जमकर अनियिमत्ताएं की गई। आरोप है कि उक्त पूरे मामले में करीब पचास करोड़ रूपये का घालमेल किया गया है। जिसकी शिकायत होने के बाद जांच भी हुई

और अनियमित्ताएं भी पायी गई, लेकिन उसके बाद दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कलेक्टर खंडवा, जिला पंचायत सीईओं, नर्मदा नगर की सरपंच किरण अजय, सब इंजीनियर इरफान खान, असिस्टेंट इंजीनियर स्वेताली लुक को पक्षकार बनाया गया है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

अजा-जजा एक्ट : विवेचना थाना प्रभारी नहीं, उप पुलिस अधीक्षक करेंगे

हाईकोर्ट के जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने अजा-जजा (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) स्तर के अधिकारी से कराए जाने संबंधी वैधानिक प्रविधान को दोहराते हुए शाहडोल के पुलिस अधीक्षक को दो सप्ताह के भीतर इसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने विनय सिंह करछाम की याचिका का आंशिक निराकरण करते हुए कहा कि यदि विवेचना अभी तक डीएसपी स्तर के अधिकारी को नहीं सौंपी गई है तो नियम-सात के अनुरूप तत्काल सक्षम अधिकारी को हस्तांतरित की जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने न्यायालय को बताया कि 27 मई 2025 को हुई घटना के बाद गोहपारू थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर विशेष न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आदेश पर 30 जनवरी 2026 को एफआईआर दर्ज हुई। इसके बावजूद विवेचना थाना प्रभारी द्वारा की जा रही है, जबकि अजा-जजा अत्याचार निवारण नियम- 1995 के नियम-सात के अनुसार ऐसे मामलों की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक से कम रैंक का अधिकारी नहीं कर सकता। राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रियंका मिश्रा ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और विवेचना विधि के अनुसार जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई तथा विवेचना की न्यायिक निगरानी के लिए कोई असाधारण परिस्थिति या दुर्भावना का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज न होने की शिकायत का निराकरण हो चुका है, लेकिन नियम-सात का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

पदोन्नति में आरक्षण संबंधी मामले की सुनवाई आज

जबलपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित प्रमोशन में आरक्षण विवाद में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तस्वीर साफ हो गई है। हाईकोर्ट ने मामले को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया व न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ के समक्ष आज सात जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। आधिकारिक काज लिस्ट जारी होने के बाद कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के बीच चल रही सभी अटकलों पर विराम लग गया है। युगलपीठ की सूची में मामला 17 वें क्रम पर है और इसकी सुनवाई मंगलवार सात जुलाई को प्रथम सत्र में होने की संभावना है। दरअसल, यह मामला 17 फरवरी 2026 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ द्वारा सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद से लंबित है। बाद में न्यायमूर्ति सराफ का इंदौर खंडपीठ में स्थानांतरण हो गया, जबकि मुख्य न्यायाधीश सचदेवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। इसके बाद सुरक्षित निर्णयों को 90 दिनों के भीतर सुनाए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेकर भी व्यापक चर्चा रही।

कॉलोनी में नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों का धावा

डिजिटल लॉक ने बचाई डॉक्टर परिवार की जान

पुलिस टीम ने किया पीछा तो पथराव कर भागे

नवभारत, जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत रिलायबल कॉलोनी में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाशों ने डॉ. विपिन अग्रवाल के घर पर धावा बोल दिया। हालांकि, घर के मुख्य द्वार पर लगा आधुनिक 'डिजिटल लॉक' डॉक्टर परिवार के लिए सुरक्षा कवच साबित हुआ। बदमाशों की कोशिशों के बाद भी जब दरवाजा नहीं टूटा, तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और चोरों को खाली हाथ दौड़ लगानी पड़ गई ।पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो आरोपित पथराव करते हुए रेल पटरी के रास्ते भाग निकले। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर पतासाजी में जुट गई है।

जानकारी अनुसार रिलायबल कॉलोनी में डॉ. विपिन अग्रवाल रहते है ।रविवार रात को अपने पूरे परिवार के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब दो बजे अचानक नीचे के हिस्से से कुछ खटपट और लोहे के टकराने की आवाजें आईं। गहरी नींद में होने के बावजूद डॉक्टर अग्रवाल को किसी अनहोनी का अंदेशा हुआ। उन्होंने तुरंत बेडरूम की खिड़की से नीचे झांका। नीचे का नजारा बेहद खौफनाक था घातक हथियारों से लैस नकाबपोश बदमाश उनके घर के मुख्य चैनल गेट को तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। घर के परिसर में घुसने के बाद बदमाशों ने मुख्य दरवाजे को निशाना बनाया। चोरों ने अपने साथ लाए कटर और भारी औजारों से दरवाजा तोड़ने का पुरजोर प्रयास किया। लेकिन मकान की सुरक्षा के लिए लगाया गया हाई-टेक डिजिटल लॉक बदमाशों के आगे अभेद्य दीवार बनकर खड़ा रहा। काफी मशक्कत के बाद भी बदमाश आधुनिक लॉक को कटर से नहीं काट पाए, इसी बीच डॉ. अग्रवाल ने सूझबूझ का परिचय दिया और बिना शोर मचाए तुरंत ग्वारीघाट पुलिस को फोन पर वारदात की सूचना दे दी।

खंगाले जा रहे सीसीटीवी

मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन रात के अंधेरे और संकरी गलियों का फायदा उठाकर बदमाशों ने पुलिस टीम पर पथराव किया और रेल पटरी के रास्ते आरोपी गायब हो गए। ग्वारीघाट पुलिस ने डॉक्टर अग्रवाल की शिकायत पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस टीम कॉलोनी और आसपास के रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का सुराग लगाया जा सके।

सायरन गूंजे,लाइटें जलीं तो बदमाशों ने लगाई दौड़

ग्वारीघाट थाने की पेट्रोलिंग टीम सायरन बजाती हुई रिलायबल कॉलोनी की तरफ दौड़ी। पुलिस की गाड़ियों के हूटर की आवाज दूर से ही सुनकर बदमाश दहशत में आ गए। इसी दौरान जाग होने पर कॉलोनी की स्ट्रीट लाइटें और आसपास के घरों की बत्तियां भी अचानक जल गईं। खुद को चारों तरफ से घिरता देख नकाबपोश बदमाश डकैती का इरादा छोड़ उल्टे पैर भाग निकले।

निदान वॉटरफॉल में अचानक आया उफान

बीच धार में फंसे दो युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू

नवभारत, जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट निदान वॉटरफॉल में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वॉटरफॉल में मस्ती कर रहे अधारताल के दो युवक अचानक आए उफान के कारण बीच धार में फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली।

कटंगी पुलिस के मुताबिक, अधारताल कंचनपुर निवासी आर्यन बर्मन (23) और हर्ष शुक्ला (23) अपनी बाइक से सोमवार को निदान वॉटरफॉल घूमने आए थे। शाम के समय दोनों युवक वॉटरफॉल के पास पहाड़ों और पानी के बीच आनंद ले रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया और पानी में जोरदार उफान आ गया। शाम करीब 6 बजे दोनों युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। चारों तरफ पानी से घिर जाने के बाद युवकों ने मदद की गुहार लगाई। कटंगी पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, टीम महज 30 मिनट के भीतर यानी शाम 6:30 बजे मौके पर पहुंच गई। अंधेरा होने और पानी का बहाव लगातार बढ़ने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने होमगार्ड सैनिकों के साथ संसाधनों और रस्सियों की मदद से सूझबूझ दिखाते हुए रेस्क्यू शुरू किया। आखिरकार रात करीब 8 बजे पुलिस टीम ने दोनों युवकों आर्यन और हर्ष को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

बारात से लौट रहे 3 युवकों को कार ने कुचला

नवभारत, जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत लोहारी शिव शक्ति वेयर हाउस के पास बारात से लौट रहे तीन युवकों को बेलगाम कार ने कुचल दिया। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस के मुताबिक सोमवार दोपहर वीरेन्द्र राजपूत 25 वर्ष निवासी ग्राम खलपुर गनौर जिला पन्ना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती किसानी करता है रविवार को अपने रिश्तेदार की बारात में अपने साथियों के साथ ग्राम गुबरा गया था । सुबह लगभग 9 बजे घर वापस जा रहा था जैसे ही ग्राम लोहारी शिव शक्ति वेयर हाउस के पास सभी लोग बस से उतरकर बाथरूम करने के लिये खड़े थे तभी पीछे से आ रही कार क्रमांक एमपी 20 सीके 0886 का चालक तेज गति लापरवाही से चलाते हुये ओमप्रकाश जय हिंद बुंदेला, राजकुमार बसोर को टक्कर मार दिया जिससे तीनों को हाथ पैर एवं शरीर में चोटें आयीं, कार चालक मौके से भाग गया। उसने एवं दीपेन्द्र राजपूत ने तीनों घायलों को प्राईवेट वाहन से ले जाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

एसबीसी चुनाव : इंदौर की मतगणना में कई दिग्गजों ने बनाई बढ़त

जबलपुर। एमपी स्टेट बार काउंसिल चुनाव में मतगणना आगे बढने के साथ ही मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। इंदौर जिले की छह मतपेटियों की गिनती पूरी होने के बाद कई प्रमुख उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई, जबकि महिला प्रत्याशियों की भी मजबूत मौजूदगी बनी हुई है। परिणामों को लेकर अधिवक्ता समुदाय की उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके पालो व वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ के अनुसार अब तक छह मतपेटियों की गणना पूरी की जा चुकी है। पूरी प्रक्रिया अभ्यर्थियों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। अब तक की मतगणना में राकेश सिंह भदौरिया, विवेक सिंह, हितेश जय हार्डिया, नरेन्द्र कुमार जैन और गौरव मिश्रा बढ़त बनाए हुए हैं। महिला उम्मीदवारों में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। प्रतीका पाठक, प्रतिभा वालिया, अन्नु पटेल, प्रीति राजेन्द्र तिवारी और राजकुमारी शर्मा बढ़त हासिल करने वाली प्रमुख महिला प्रत्याशियों में शामिल हैं। इससे अधिवक्ता परिषद में महिला नेतृत्व की मजबूत दावेदारी भी सामने आई है। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार मतगणना का प्रत्येक चरण परिणामों को और अधिक रोचक तथा निर्णायक बनाता जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मतगणना 16 जून से लगातार जारी है। अब तक कुल 27,023 मतों की गणना हो चुकी

31 किसानों को लगाया 80 लाख का चूना

5650 क्विंटल गेंहू, 150 क्विंटल चना बेचा,रकम नहीं दी, दो पर एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। आधा दर्जन गांवो के 31 किसानों से दो गल्ला व्यापारियों ने गेंहू और चना खरीद कर उ न्हें 80 लाख का चूना लगा दिया ।दअरसल दोनों व्यापारियों ने किसानों को गेंहू, चना खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचने का झांसा दिया इसके बाद गेंहू और चना खरीद लिया इसके बाद 5650 क्विंटल गेंहू, 150 क्विंटल चना बेच भी दिया लेकिन किसानों को रकम नहीं दी । बाकी की रकम देने का कहते हुए उन्हें चैक दे दिए जो बैंक में लगते ही बाउंस हो गए जिसके बाद किसानों ने थाने पहुंचकर दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ।

पुलिस ने बताया कि सोहन लोधी निवासी कटंगी राजघाट एवं राजा सिंह लोधी निवासी शहपुरा हरदुआ ने 31 किसानों से 4 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच 73 ट्रक में कुल 5650 क्विंटल गेंहू और दो ट्रक में 150 क्विंटल चना बेचा था। उस वक्त किसानों को दोनों गल्ला व्यापारियों ने कुल 11 लाख 99 हजार रुपए की रकम नकद दी। बाकी की रकम जल्द देने का आश्वासन दिया। इसके एवज में दोनों ने किसानों को कुल 57 लाख 20 हजार 181 रुपयों के चैक दिए। किसानों ने जब चैक बैंक में लगाए, तो वे बाउस हो गए। किसानों के अनुसार उन्हें दोनों गल्ला व्यापारियों ने कुल 80 लाख रुपए का चूना लगाया है। रकम वापस न मिलने पर सभी ने पुलिस में शिकायत की इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद दोनों गल्ला व्यापारियों के खिलाफ विभि न्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है ।

इनसे हड़पी रकम

दोनों आरोपियों ने भूपेन्द्र सिंह, लाल सिंह, अजय सिंह, तखत सिंह, शैलजा तिवारी, पर्वत सिंह, सुशील बर्मन, नरेश बर्मन, गणेश कुशवाहा, दिनेश साहू, प्रहलाद बर्मन, सूरज पटेल, सतेन्द्र कुर्मी, हल्के सिंह लोधी, गजेन्द्र पाल सिंह, कुसल सिंह, राघवेन्द्र सिंह, तखत सिंह, राजकुमार सिंह लोधी, निर्भय सिंह, लाल सिंह, देवेन्द्र सिंह, सोबरन सिंह, हाकम सिंह, पुष्पेन्द्र सिंह, सुखचैन सिंह, जीवन सिंह, पवन सिंह, अवधेश लोधी, एवेन्द्र सिंह, लोटन सिंह, भजन सिंह, सूरत सिंह, आलोक कुमार जैन, अभिषेक सिंह की रकम हड़पी है ।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57